न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :–93/12 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956)(RCMS No.2012/00057)

बैजन्ती पुत्री स्व0 देवीसिंह जाति कुशवाह निवासी सैदपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर हाल निवासी नगला धौरया मजरा रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. रामभरोसी
2. सुक्का
3. बिस्सी

} पुत्रगण स्व0 जौहरी जाति कुशवाह निवासी ग्राम सैदपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 1.5.2002 प्रकरण संख्या 10/2000 बाबत नामान्तरकरण संख्या 39 ग्राम महल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलान्ट।
2. श्री दिनेशचंद शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः–12.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार रूपवास के निर्णय दिनांक 1.5.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं किपरीक्षण न्यायालय तहसीलदार रूपवास को न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 350/ अपील/ 1995 में पारित निर्णय दिनांक 2.11.1999 से इस आशय की रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त हुई कि दाखिल खारिज नम्बर 39 ग्राम महल पर पारित आज्ञा दिनांक 26.7.93 का क्रियान्वयन स्थगित रखा जाता है तथा प्रकरण अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की पुनः सुनवाई कर पुनः निर्णय पारित करें। तदोपरान्त परीक्षण न्यायालय ने इस रिमाण्ड प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2002 इस आशय का पारित किया गया कि मृतक जौहरी की विरासत का नामान्तरकरण उसके पुत्रान को वहिस्सा बरावर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होना चाहिऐ। अतः मृतक जौहरी का

12.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नामान्तरकरण संख्या 39 पर निर्णय दिनांक 26.2.93 निरस्त किया जाता है एवं उसके वैध वारिसान सुक्का, विरसी व रामभरोसी को बहिस्सा बराबर खातेदार स्वीकार किया जाता है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2002 अपीलान्ट को बिना सुने एकतरफा में पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का बाबा जौहरी पुत्र मोती जिस समय फौत हुआ था उस समय उसके वारिस उसके मृतक पुत्र देवीसिंह की एक मात्र पुत्री (अपीलान्ट) व पुत्र सुक्का तथा पुत्र देवीसिंह एवं पुत्र रामभरोसी के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं था और हल्का पटवारी ने मृतक जौहरी के वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण संख्या 39 दर्ज किया था जो दिनांक 26.2.93 को स्वीकार किया गया तथा इस नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2058 लगायत 2061 में अपीलान्ट को विवादित खसरा नम्बर 9 रकबा 6 वीघा 10 विस्वा वाकै महल पर 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज किया गया। वकील अपीलान्ट आर.आर. टी 2020 पार्ट–2 प्रश्न संख्या 993 पर उद्धरित निर्णय का भी हवाला दिया जिसके अनुसार पुत्री को भी विरासत में पुत्र के समान ही अधिकार प्राप्त है। अतः इस नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा सही नामान्तकरण भरा गया था। बाद में अपीलान्ट का विवाह हो गया और वह ससुराल में रहने लगी। जिसकी अनुपस्थिति का नाजायज लाभ लेकर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अपीलान्ट की 1/4 हिस्से की आराजी को हडपने की नीयत से अपील संख्या 350/1995 निर्णय कलक्टर भरतपुर दिनांक 2.11.99 उक्त नामा0 सं0 39 के विरूद्ध अपीलान्ट की न जानकारी में की और उसकी कोई सूचना भी अपीलान्ट पर नहीं हुई तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसे वगैर सुने अपील निर्णित करवा कर प्रकरण तहसीलदार रूपवास को पुनः सुनवाई के लिये रिमाण्ड करवा ली तथा पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये मौके की जांच कर उचित आज्ञा पारित करने का निर्देश कलक्टर भरतुपर द्वारा तहसीलदार रूपवास को दिये गये। यह कि तहसीलदार रूपवास ने कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 2.11.99 में दिये गये निर्देशों का पालन न करते हुये उसके विपरीत अपीलान्ट को बिना सुने बिना जांच गलत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करके अपीलान्ट के नाम मृतक जौहरी के 1/4 हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण न करने का निर्णय पारित कर दिया जबकि तहसीलदार रूपवास ने ग्राम सैदपुरा व नगला धौरया मजरा रूदावल के संबधित पंच सरपंच अन्य प्रतिष्ठित वृद्धजनों के बयान नहीं लिये और न उस पटवारी के बयान लिये जिसने अपीलान्ट को देवीसिंह की पुत्र मानकर नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 18.6.92 को दर्ज किया था। ताकि सही स्थिति का पता चलता कि अपीलान्ट मृतक देवीसिंह की पुत्री है या नहीं। और देवीसिंह

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

लावल्द फौत न होकर अपनी पुत्री बैजयन्ती(अपीलान्ट) को छोड़कर मरा था तथा बैजयन्ती रामभरोसी रैस्पो० संख्या 1 की पुत्री नहीं है। तहसीलदार ने रैस्पो० की मन्शा के विरुद्ध व्यक्ति एक मात्र स्वारथी की अंगूठा निशानी करवाकर बयान दर्ज कर लिये तथा उसकी जिरह का मौका नहीं दिया और न रैस्पो० ने ही जिरह का मौका दिया जबकि रैस्पो० संख्या 1 लगायत 3 आपस में मिले हुये थे व आपस में ही अपीलान्ट तथा रैस्पो० क्रमशः बैजयन्ती की 1/4 हिस्से की विवादित आराजी को हड़पना चाहते थे इसलिए रामभरोसी रैस्पो० 1 ने रैस्पो० 2 व 3 के विरुद्ध जानबूझ कर फर्जी कार्यवाही करवाई तथा बैजयन्ती (अपीलान्ट) को तहसीलदार रूपवास ने न तो बुलाया और न उसके बयान लेकर उसके पिता के बारे में जांच की जबकि बैजयन्ती को स्व० देवीसिंह की ही पुत्री सभी जगह माना जाता है और वह देवीसिंह की पुत्री ही है। यह कि दिनांक 28.3.2012 को अपीलान्ट अपने पीहर गांव सैपुरा गई और अपने हिस्से के खेत की फसल के बारे की जांच रैस्पो० की तो उन्होने अपीलान्ट को मारपीट कर भगा दिया और कहा कि अब खेत में उसका नाम नहीं है। तब अपीलान्ट ने जांच की तो पता चला कि अब राजस्व रिकार्ड में उसका नाम खातेदारी से हट गया है तब अपीलान्ट ने दिनांक 5.6.2012 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि ली तब असल में जानकारी हुई और नकल मिलने के बाद अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वकील रैस्पोडेन्ट ने बहस में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विरासत की जायदाद से संबंधित है इसलिए लिमिटेशन का बिन्दू गौण हो जाता है। इस संबंध में आर.आर.डी. 2020 (1) प्रष्ठ 575 व डब्ल्यू.एल.सी. 2020(1) पेज 707 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया तथा तर्क दिया कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2002 निरस्त किया जावे तथा विवादित आराजी में से 1/4 हिस्से पर अपीलान्ट का नामान्तकरण स्वीकार किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 को पारित किया गया है इसके विरूद्ध 10 वर्ष बाद अपील पेश की गई है जो कि मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है, क्योकि अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित नकल दिनांक 05.06.2011 को प्राप्त होने का उल्लेख किया है। अतः यदि इसे सही माना जावे तो भी 1 वर्ष के बाद अपील पेश की गई। वकील रैस्पोडेन्ट ने बहस में मियाद संबंधी बिन्दु पर विभिन्न न्यायालय द्वारा कई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त का भी हवाला दिया जिसमें आर.बी.जे.(17)2010 प्रष्ठ संख्या 289 जिसमें अपील विलम्ब से पेश किये जाने का पर्याप्त कारण नही होने पर 3 दिन के विलम्ब को भी स्वीकार नहीं किया गया। इसी प्रकार 2021 आर.बी.जे. प्रष्ठ 278 के अनुसार जब अपीलान्ट को निर्णय की तारीख का पता तो अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ नहीं किये जा सकने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार 2021 आर.बी.जे. 619 के अनुसार अपीलार्थी को मुकदमें की पूर्ण जानकारी होने व विरोधाभासी लक्ष्य एबेटमेन्ट को 16—17 साल की देरी निरस्त करने के लिए कारण अंकित किए गए व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पर्याप्त नहीं पाए जा सकने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। 2021 आर.बी.जे. प्रष्ठ 226

12.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के अनुसार अपीलान्ट के इस कथन को नही माना जा सकता है कि उसने अभिभाषक से 6 वर्ष तक सम्पर्क नही किया यह कथन चलने योग्य नहीं होने के कारण देरी को माफ नहीं करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण अपीलान्ट को अपीलाधीन होने की पूर्ण जानकारी थी। अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में अपील मियाद संबंधी बिन्दू पर खारिज की जावे। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील में तहसीलदार के निर्णय दिनांक 01.05.2000 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2002 को पारित किया गया है। इसलिए इस आधार पर भी अपीलान्ट को कोई अनुतोष अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता है। इसी तरह अपीलान्ट की ओर से सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी अदालत हाजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अतः अपीलान्ट का कोई Locus Standi नहीं होने के कारण भी अपील अपीलान्ट निरस्तनीय है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर, द्वारा परित निर्णय दिनांक 21.11.1999 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06.01.97 इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित दाखिल खारिज नम्बर 39 में से अपना नाम गलत दर्ज कर देने व उसको हटाये जाने में कोई एतराज न होने के बाबत् अवगत कराया था। अपीलान्ट मृतक जौहरी के पुत्र रामभरोसी की पुत्री है परन्तु दाखिला खारिज में गलत रूप से देवीसिंह की पुत्री अंकित किया गया है जबकि देवीसिंह की वर्ष 1974 में ही बिना औलाद मृत्यु हो गई थी। इस तथ्य का उल्लेख जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय में भी किया हुआ है। तथा अपीलान्ट में विवादित भूमि में अपना कोई हक नहीं होना जिला कलक्टर न्यायालय में स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने रैस्पो0 के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई थी। इसमें भी स्वयं को रामभरोसी की पुत्री होना बताया है। मतदाता सूची राशन कार्ड आदि में भी अपीलान्ट बैजन्ती रामभरोसी की पुत्री होना ही प्रमाणित है। अतः देवीसिंह की पुत्री होने के आधार पर जो नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था वह गलत था। तहसीलदार रूपवास अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 पूर्ण जांच पडताल के बाद तथ्यों पर पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 यथावत रखा जावें।

अपीलान्ट वह रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने व मनन करने, अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील अपीलान्ट व रैस्पो0 द्वारा बहस में वर्णित नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलान्ट की ओर से मीमो ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र तथा अपील पेश करने की इजाजत हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील वर्ष 2012 में पेश की गई है। वर्ष 2012 से अपील में बहस होने तक रैस्पो0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया और न ही किसी तरह का कोई जबाब अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे उनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी थी जहां तक दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 05.06.2011

12.7.17
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

को प्राप्त होने का प्रश्न है तो यह लिपिकीय त्रुटिवश लिखा जाना प्रतीत होता है क्योंकि मीमो आफ अपील में उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 06.06.2012 को होने का उल्लेख किया गया है। वकील रैस्पो0 द्वारा मियाद के संबंध में बहस में वर्णित विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत है परन्तु उक्त प्रकरण में रैस्पो0 यह साबित नहीं कर पाए कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व से थी तथा न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। इसके अलावा भी वकील अपीलान्ट की ओर से मियाद संबंधी बिन्दु के संबंध में बहस में वर्णित नजीर यथा आर.आर.डी 2020(1) पृष्ठ 696 तथा 2020(1)डब्ल्यू.एल.सी पेज 707 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत होते हैं। अपील को मियाद संबंधी बिन्दू पर खारिज किया जाना उचित नहीं मानते है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा इस तरह की कई नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद संबंधी बिन्दू पर अपीलान्ट न्यायालयों को उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी आधार पर मियाद संबंधी बिन्दू पर अपील खारिज नहीं की जानी चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित मानते हैं। इसी प्रकार वकील अपीलान्ट की ओर मीमो ऑफ अपील के साथ सिविल प्रकिया संहिता की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन किये जाने तथा अदालत मातहत की पत्रावली तलब किये जाने के निर्देश वर्ष 2012 में दे दिए गए तो अब इसकी यही अवधारणा मानी जावेगी कि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की ओर से सी.पी.सी. की धारा 96 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.1999 की पालना में पारित किया गया है। इस निर्णय में जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार रूपवास द्वारा दाखिल खारिज संख्या 39 दिनांक 26.02.1993 के कियान्वयन को स्थगित कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार रूपवास को प्रतिप्रेषित किया था कि अपीलान्ट व रैस्पो0 को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए मौके की जांच कर पुनः उचित आज्ञा नियमानुसार पारित करें। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रूपवास द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 को पारित किया है जेसमें कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है क्योंकि अपीलान्ट को नामान्तकरण ंख्या 39 दिनांक 26.02.1993 में देवीसिंह की पुत्री होना माना गया है जबकि जिला लक्टर न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.1997 में यह ोकार किया गया है यह विवादित भूमि में उसका गलत इन्द्राज हुआ है तथा यपक्षकारान के मध्य राजीनामा भी दिनांक 25.06.1993 को हुआ है जिसमें विवादित

ागीय आयुक्त
पुर संभाग, भरतपुर

अपीलार्थी को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर काबिज होना बताया है। इन तथ्यों का जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.1998 में भी उल्लेख है। इसी प्रकार वकील रैस्पो द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत दस्तावेज नकल अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30.04.2012 व निर्वाचक नामावली वर्ष 2010 भाग नगला धरिया के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट देवीसिंह की पुत्री नहीं है वरन् रामबाबू की पत्नि व रामभरोसी की पुत्री है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अपीलान्ट द्वारा रैस्पो के विरुद्ध थाना उच्चैन में एक एफ.आई.आर. संख्या 74/12 आई.पी.सी. की धारा 341, 323, 504, 420 व 406 के तहत दर्ज कराई गई थी जिसमें दिनांक 30.04.2012 को अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार हुआ है। इसमें अपीलान्ट ने स्वयं को रामभरोसी की पुत्री होना बताया है। इस एफ.आई.आर. में दिनांक 30.04.2012 को जो नतीजा एफ.आर दिया गया है उसमें अदम वजू झूठ का पाया जाने से एफ.आर. लगाई गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट देवीसिंह की पुत्री नहीं थी व रामभरोसी की पुत्री होने का अपने बाबा की भूमि में अलग से विरासतन अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर 2020(2) प्रष्ठ संख्या 998 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि अपीलान्ट को देवीसिंह की पुत्री नहीं होकर रामभरोसी की पुत्री होना माना गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 में इसी तरह का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और न ही अवैधानिकता या अनियमितता नजर आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.05.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर